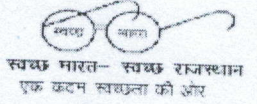


राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ईमेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in



क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/ SBM/19/18472

दिनांक :- 26/04/19

श्री के.के. गुप्ता,
ब्राण्ड एम्बेसेडर, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
एवं सभापति नगर परिषद,
डूंगरपुर।

विषय:- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये आदेशों की पालना में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 की पालना में आयोजित बैठक में सम्मिलित होने बाबत।

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये आदेशों की पालना में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 की पालना में श्रीमान् सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में संलग्न आदेश क्रमांक 18205 दिनांक 26.04.2019 द्वारा सीकर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर में बैठकों का आयोजन किया गया है।

आपसे अनुरोध है, कि संलग्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित बैठकों में उपस्थित होने का श्रम करावें।

संलग्न - बैठक कार्यक्रम आदेश।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 26/04/19

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/ SBM/19/18473-487

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर।
5. आयुक्त, नगर निगम/परिषद/पालिका, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सीकर, पुष्कर।
6. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:- dlbrajasthan@gmail.com वेब साइट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/ 19/ 1820.5

दिनांक :- 26/04/19

आदेश

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गए आदेशों की पालना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर को मॉडल सिटी/टाउन बनाने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के दृष्टिकोण से शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में नीचे दिये गए कार्यक्रम अनुसार बैठक का आयोजन किया जावेगा।

क्र. सं.	निकाय का नाम	दिनांक/समय	बैठक का स्थान
1.	सीकर	29.04.2019 सायं 2:30 बजे से	मॉडल सिटी/टाउन की बैठक। स्थान:-सीकर कलेक्ट्रेट सभागार।
2.	जयपुर	30.04.2019 सायं 3:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक	मॉडल सिटी/टाउन की बैठक। स्थान:-नगर निगम सभागार, जयपुर।
3.	अजमेर	13.05.2019 प्रातः 11:30 बजे से सायं 1:30 बजे तक	मॉडल सिटी/टाउन की बैठक।
		सायं 2:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक	अजमेर संभाग की सभी निकायों की समीक्षा। स्थान:- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार, अजमेर।
4.	उदयपुर	15.05.2019 प्रातः 11:30 बजे से सायं 1:30 बजे तक	मॉडल सिटी/टाउन की बैठक।
		सायं 2:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक	उदयपुर संभाग की सभी निकायों की समीक्षा। स्थान:- नगर निगम उदयपुर, सभागार।
5.	डूंगरपुर, प्रतापगढ़	16.05.2019 प्रातः 9:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक	डूंगरपुर कलेक्ट्रेट सभागार।

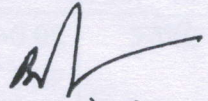
निदेशालय के अधिकारियों को टैक्सी/कार से जाने एवं आने की स्वीकृति एवं किराये का भुगतान संबंधित निकाय द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है जो मीटिंग के एक दिन पूर्व पहुंच कर तैयारियां करवायेंगे।

नगर निगम जयपुर, उदयपुर, अजमेर तथा नगर परिषद सीकर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व पुष्कर विजिट-से पूर्व माननीय एनजीटी के आदेशों के अनुरूप पालना रिपोर्ट तैयार करने, निदेशालय की टीम को साइट भ्रमण करवाने की व्यवस्था की सुनिश्चितता करेंगे।

साथ ही पूर्व से निर्धारित विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिन एजेण्डा पर समीक्षा होनी थी उसमें अजमेर संभाग एवं उदयपुर संभाग के समस्त निकाय उपरोक्त सारणी में प्रोग्राम के अनुसार उपस्थित होकर समीक्षा बैठक में भाग लेंगे।

क्षेत्रीय उप निदेशक उदयपुर एवं अजमेर अपने-अपने क्षेत्र की निकाय के एजेण्डा बिन्दुओं पर प्रगति रिपोर्ट/प्रजेन्टेशन प्रस्तुत करेंगे तथा बैठक से संबंधित समस्त तैयारियाँ जलपान/वर्किंग लंच इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी नगर निगम जयपुर, सीकर, डूंगरपुर एवं पुष्कर मॉडल सिटी/टाउन के बारे में प्रगति एवं समीक्षा बैठक की व्यवस्था करेंगे तथा शहर में चल रहे ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु व्यवस्थाओं का निरीक्षण करवायेंगे।


(पवन अरोड़ा)

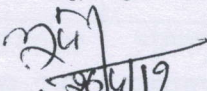
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 26/04/19

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/19/18206-419

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
5. मुख्य अभियंता, निदेशालय।
6. परियोजना निदेशक, निदेशालय।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियंता(एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट), निदेशालय।
8. अधिशायी अभियंता, निदेशालय।
9. उपनिदेशक(क्षेत्रीय), जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर।
10. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर।
11. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त उदयपुर संभाग तथा अजमेर संभाग को भेजकर लेख है कि बैठक में संपूर्ण तैयारियों सहित उपस्थित होंगे।
12. टीम लीडर, पीएमयू, स्वच्छ भारत मिशन।
13. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी नगर परिषद/नगर पालिका, सीकर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं पुष्कर।
14. सुरक्षित पत्रावली।


(भूपेन्द्र मिश्र)
मुख्य अभियंता

क्रमांक :- 2896-2928

दिनांक:- 25/01/19

समस्त जिला कलक्टरों,
राजस्थान।

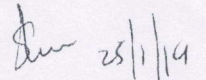
विषय:- स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए श्री के.के. गुप्ता, सभापति नगरपरिषद् डूंगरपुर (ब्रांड एम्बेसडर-स्वच्छ राजस्थान) की सेवाएँ लिये जाने बाबत।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है नगरपरिषद् डूंगरपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं स्वच्छता के संबंध में अनुकरणीय कार्य किया गया है तथा डूंगरपुर शहर राजस्थान का पहला खुले में शौचमुक्त शहर (ODF) भी घोषित हुआ है एवं नगरपरिषद् डूंगरपुर को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया गया है।

राजस्थान के अन्य शहरों को भी डूंगरपुर की तर्ज पर स्वच्छ भारत मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन करना चाहिए एवं इस संबंध में डूंगरपुर में अपनाई गई प्रक्रिया एवं पद्धति का अनुकरण किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन से श्री के.के. गुप्ता, सभापति नगरपरिषद् डूंगरपुर को अधिकृत किया गया है कि वे राजस्थान के विभिन्न जिलों में स्वयं जाकर संबंधित जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित कर जिला कलक्टर के सभागार में कार्यशाला आयोजित कर वहां के नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जन प्रतिनिधियों को इस संबंध में जागरूक करें तथा डूंगरपुर पद्धति एवं अनुभवों को शेयर करें, जिससे राज्य के अन्य शहर भी स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर सकें।

इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया श्री के.के. गुप्ता, सभापति नगरपरिषद् डूंगरपुर से समन्वय स्थापित कर जिला स्तर पर एक बैठक का आयोजन करें, जिसमें आपके जिले में स्थित नगरीय निकायों के महापौर/सभापति/अध्यक्ष एवं पार्षदगणों एवं प्रमुख अधिकारियों के साथ-साथ अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी आमंत्रित करें तथा स्वच्छता के क्षेत्र में डूंगरपुर द्वारा किये गये कार्यों का प्रजेंटेशन करवायें एवं इसकी एक रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को बैठक के 7 दिवस में प्रेषित करने का श्रम करें।



(सिद्धार्थ महाजन)

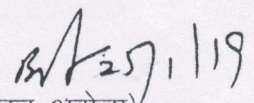
शासन सचिव

दिनांक:- 25/1/19

क्रमांक:- 2929-2930 + 3130

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्री के.के. गुप्ता, सभापति, नगर परिषद्, डूंगरपुर।
2. श्री भूपेन्द्र माथुर, मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त, स्थानीय निकाय विभाग
4. आयुक्त/अधीक्षक (नगर निगम) परिषद्/पालिकाएं, समस्त, राजस्थान



(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव